रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233686
CG-DL-E-23022022-233686

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 04, 1943
No. 803] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 04, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2022

का.आ. 832(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंदमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

क्रम सं.	सदस्य	पारिस्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य सचिव, अंदमान और निकोबार प्रशासन	अध्यक्ष, पदेन;
2.	प्रधान सचिव, (राजस्व) अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नामनिर्देशिति	सदस्य, पदेन;
3.	प्रधान सचिव/आयुक्त-सह-सचिव/सचिव, (पर्यावरण और वन), अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नामनिर्देशिति	सदस्य, पदेन;

4.	सचिव (मत्स्यपालन) अंदमान और निकोबार प्रशासन या उसका नामनिर्देशिति	सदस्य, पदेन;
5.	प्रो. रामचंद्रन, भूतपूर्व कुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, तमिलनाडु	सदस्य;
6.	डॉ एस. श्रीनिवासलु, निदेशक, समुद्र प्रबंधन संस्थान (आईओएम), अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	सदस्य;
7.	प्रमुख, अंदमान और निकोबार पर्यावरण टीम (एएनईटी), पोर्ट ब्लेयर	सदस्य;
8.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन, समाशोधन और तटीय विनियम जोन), पर्यावरण और वन विभाग	सदस्य-सचिव पदेन;

2. प्राधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा ।

3. प्राधिकरण के लिए गणपूर्ति इसके सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ।

4. पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5. हितों के टकराव से बचने के लिए सदस्य, किसी ऐसी परियोजना जिसके लिए उन्होने परामर्शी सेवा प्रदान की है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की बैठक से स्वयं इन्कार करेंगे ;

6. प्राधिकरण, अंदमान और निकोबार संघ राज्यक्षेत्र में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :-

i. प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार है और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई द्वीप संरक्षण जोन अधिसूचना की अपेक्षाओं के भीतर है, जो संख्यांक का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो उसका परिक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सिफारिश करेगा ;

ii. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियम जोन क्षेत्रों में सभी विकसित क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;

iii. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

iv. प्राधिकरण, तटीय विनियम जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिशें देगा ;

v. प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अभिकथित अतिक्रमण में मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा ;

vi. प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा ;

vii. प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है ;

viii. प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा, जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित हो ।

7. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाईयां, न्यायालय मामले, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश भी हैं और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

8. प्राधिकरण, छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा. सं.: 12-5/2005-आईए.III. (भाग.IV)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2022

S.O. 832(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Andaman and Nicobar Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

Sl. No.	Members	Status
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Secretary Andaman and Nicobar Administration	Chairman, *ex-officio;*
2.	Principal Secretary (Revenue) Andaman and Nicobar Administration or his nominee	Member, *ex-officio;*
3.	Principal Secretary (Environment and Forests), Andaman and Nicobar Administration or his nominee	Member, *ex-officio;*
4.	Secretary (Fisheries) Andaman and Nicobar Administration or his nominee	Member, *ex-officio;*
5.	Prof. Ramachandran, Former Vice Chancellor, University of Madras, Chennai, Tamil Nadu	Member;
6.	Dr. S. Srinivasalu, Director, Institute for Ocean Management (IOM), Anna University, Chennai	Member;
7.	Head, Andaman and Nicobar Environment Team (ANET), Port Blair	Member;
8.	Principal Chief Conservator of Forests (Forest Clearance & Coastal Regulation Zone), Department of Environment and Forests	Member-Secretary, *ex-officio*.

2. The Authority shall have its headquarters at Port Blair.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an ex-officio Member, shall be paid allowances as per the norms decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the Union territory of Andaman and Nicobar Administration, take the following measures, namely: -

i. the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Island Protection Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published vide number S.O.20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

ii. the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

iii. the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notification;

iv. the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

v. the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

vi. the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notification suo-moto, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

vii. the Authority shall be authorized to file complaints under section 19 of the said Act;

viii. the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notification and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the Union territory Administration.

8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No: 12-5/2005-IA.III(Vol.IV)]

DR. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.